



न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-4/
विशेष न्यायाधीश(ई०सी०एक्ट), हरदोई
दाण्डिक प्रकीर्ण सं०-665/2025
श्री मनोज सिंह यादव बनाम अवधेश

अ०सं०-1170/2022
धारा -138(1)(b) विद्युत अधिनियम
थाना- ए०पी०टी०, जिला हरदोई।

दिनांक-12.09.2026

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुयी। मु०अ०सं०-1170/2022 अन्तर्गत धारा 138(1)(b) विद्युत अधिनियम, थाना ए०पी०टी०, जिला हरदोई बनाम अवधेश आदेश के विरुद्ध विवेचक द्वारा प्रस्तुत अंतिम आख्या संख्या 262/2025 दिनांकित 04.08.2025 पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान मामले में अभियुक्त के विरुद्ध विवेचना के उपरान्त अन्तिम प्रतिवेदन इस आधार पर प्रस्तुत है कि दौरान विवेचना अभियुक्त द्वारा शमन शुल्क तथा निर्धारण शुल्क जमा कर दिया गया है, अतः धारा-152(2) विद्युत अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार धनराशि का संदाय कर दिए जाने उपरान्त व सक्षम प्राधिकारी द्वारा संयोजन किए जाने के उपरान्त आपराधिक वाद नहीं चलाया जा सकता। अभियोजन पक्ष द्वारा भी अपने बयान में उक्त आशय का कथन किया गया है। इस प्रकार अंतिम प्रतिवेदन पर कोई आपत्ति नहीं की गयी है। प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन पर अनापत्ति के मद्देनजर अन्तिम प्रतिवेदन संख्या 262/2025 दिनांकित 04.08.2025 स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

- (i) अन्तिम प्रतिवेदन संख्या 262/2025 दिनांकित 04.08.2025 स्वीकार की जाती है।
- (ii) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान प्रकीर्ण वाद में पारित उक्त आदेश का प्रभाव प्रार्थी/अभियुक्त के व्यवहार उत्तरदायित्व पर नहीं पड़ेगा। विद्युत विभाग अभियुक्त पर पूर्व अथवा वर्तमान बकाया/देय को विधि अनुसार वसूल करने के लिए स्वतन्त्र/अधिकृत होगा।
- (iii) तदनुसार वर्तमान प्रकीर्ण वाद निस्तारित किया जाता है।
- (iv) पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार संचयित हो।

(योगेन्द्र चौहान)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-04/
विशेष न्यायाधीश(ई.सी.एक्ट), हरदोई।
जे०ओ० कोड-UP1608